शैक्षणिक वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने विषयक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2019–20, 2020–21 के ऐसे आवेदन जो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित (Final Verified) किए गए थे किन्तु छात्र–छात्रा की बैंक की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत अंकित होने के कारण बिल कोषागार स्तर पर फेल हुए जिसके परिणामस्वरूप ऐसे छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे छात्र–छात्राओं को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए छात्र–छात्राओं को अपनी बैंक की सही जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता है जिसके लिए छात्र–छात्राओं को निम्न कार्य करने होगें–

- **शैक्षणिक वर्ष** 2020–21 के ऐसे छात्र–छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए **लॉगिन बटन पर** क्लिक करने के उपरान्त **Fresh 2020-21** पर क्लिक करें तत्पश्चात् **पोर्टल पर लॉगिन** कर **Update Your Account Details** पर Click कर अपनी बैंक की जानकारी को **दिनांक** 31 **अक्टूबर**, 2021 तक ठीक करें।

- **शैक्षणिक वर्ष** 2019–20 के ऐसे छात्र–छात्राएं अपनी बैंक की सही जानकारी को दिए गए प्रारूप पर **दिनांक** 31 **अक्टूबर**, 2021 तक ई–मेल आईडी **swditcell@gmail.com** पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

शैक्षणिक वर्ष (केवल 2019–20 हेतु)	योजना का नाम	आवेदन संख्या	आवेदक का नाम	आवेदक का मोबाईल नम्बर	बैंक आई0एफ0एस0सी0	बैंक खाता संख्या

नोटः– अधिक जानकारी हेतु विभागीय दूरभाष नम्बर 6395221188 पर सम्पर्क करें अथवा विभागीय वेबसाईट (**https://socialwelfare.uk.gov.in**) के मुख्य पृष्ठ पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

समाज कल्याण, उत्तराखण्ड